रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2015/ आषाढ़ 22, 1937
No. 245] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2015/ASHADHA 22, 1937

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2015

6 जून, 2015 को आयोजित सामान्य परिषद् की बैठक की कार्यवृत के अंश

मद सं. 196/2015

संकल्प सं. 119/2015.–परिषद् में बहुत से संशोधन जो उपसमिति द्वारा प्रस्तावित हैं पर विचार किया है एवं समिति की रिपोर्ट को मान लिया है। अब अध्याय 1 के नियम 5 (क) को निरसित किया गया है एवं उसके स्थान पर नियम 5 (क) को अन्तस्थापित किया गया है जो इस प्रकार है:–

"यह कि ज्येष्ठ अधिवक्ता जो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट हैं एवं भारतीय उच्चतम न्यायालय के अभिलेख अधिवक्ता हैं उनमें से ज्येष्ठ अधिवक्ता प्रारूप ई भरेंगे एवं अभिलेख अधिवक्ता प्रारूप–एफ (नवीन) भरेगें। उन्हें सम्यक रूप से भरे गये प्रारूप के साथ दो पासपोर्ट आकार की फोटो अपनी–अपनी विधिज्ञ परिषद या सम्बन्धित राजकीय विधिज्ञ परिषद को प्रेषित करना होगा ताकि उनके नामों को राजकीय विधिज्ञ परिषद के निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किया जा सके। ज्येष्ठ अधिवक्ताओं को 500 रूपये जमा करवाने होगें एवं अभिलेख अधिवक्ता अपनी–2 राजकीय विधिज्ञ परिषद के अनुसार शुल्क जमा करवायेगें। सभी राजकीय विधिज्ञ परिषद् उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ परिषद् एवं अभिलेख अधिवक्ता परिषद को शुल्क के सम्बन्ध में सूचित करेगें ताकि व्यवसाय के प्रमाण पत्र का तुरंत ही सत्यापन किया जा सके।"

इसी प्रकार अध्याय–IV के नियम 8.4(**ट**) को भी प्रतिस्थापित किया जायेगा जो इस प्रकार है:–

यह कि राजकीय विधिज्ञ परिशदों को यह स्वतंत्रता होगी कि वो सत्यापन/आदेशिका शुल्क में कोई बदलाव अपनी आवश्यकताओं एवं अपेक्षा अनुसार कर सकें। पर यह बदलाव भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

अध्याय–IV के नियम 14 का स्पष्टीकरण यह है कि जो अधिवक्तागण अपने कोष्ठ में विधि व्यवसाय करते हैं या वो जो विधि फर्मो से जुड़े हैं एवं न्यायालय अथवा मंत्र के समक्ष अपना वकालतनामा दाखिल करने में असमर्थ हैं वो भी अपने प्रमाण पत्रों एवं व्यवसाय के स्थान के सत्यापन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा इस आशय का कि वो विधि व्यवसाय कर रहे हैं एव इस कार्य के लिए कमतर प्रमाण देगें। जो किसी पंजीकृत विधि फर्म में कार्यरत हैं वो विधि फर्म का प्रमाण–पत्र अपने आवेदन के साथ जमा करवायेगें।

अशोक कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./96/15/(132)]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2015

Extracts of the Minutes of the

General Council Meeting held on 6th June, 2015

Item No. 196/2015

Resolution No. 119/2015.—The Council has considered the various amendments proposed by the sub-Committee and the report of the Committee is accepted. Now, Rule 5(a) of Chapter I shall be repealed and new Rule 5(a) shall be inserted which runs as follows:-

"However, the senior Advocates designated under Section 16 of the Advocates Act and Advocates on Record of Supreme Court of India are required to fill Form E for Senior Advocates and Form F(new) for Advocates on Records. They shall also be required to send two passport size photographs alongwith duly filled up forms to their respective Bar Associations or the concerned State Bar Council, so that their names could be included in electoral roll of State Bar Council. The senior Advocates shall be required to deposit a sum of Rs. 500 and the AORs shall deposit the fee to be decided by their respective State Bar Councils. All the State Bar Council shall be required to inform the Supreme Court Bar Association and the AOR Association of Supreme Court about the fee for verification of Certificate of Practice fixed by them forthwith".

Similarly in chapter IV, new Rule 8.4(v) shall be substituted which is as follows:-

However, the State Bar Councils would be at liberty to make any change in the Verification/process fee as per their own requirements and necessities. But any such change shall be required to be approved by the Bar Council of India.

Chapter IV, Rule 14, Explanation:-

However, the Advocates doing chamber practices, or engaged with some Law firms who are unable to file vakalatnamas in any court or forum shall also be entitled to apply for verification of their certificates and place of practice. They shall be required to file an affidavit stating that they are doing Legal practice and shall have to furnish at least proof to this effect. Those who are engaged in any registered law firm shall be required to obtain a certificate from the Law firm and submit it alongwith their applications form.

ASHOK KUMAR PANDEY, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./96/15/(132)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.